तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 119/2023 बउनवान भूपाराम बनाम रूपाराम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस
आदेश

दिनांक 01.04.2025

उपस्थिति

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री मदनलाल विश्नोई
2. रेस्पोंडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता द्वारा पेश वाद एवं आवेदन अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया गया। मौजा राणासर कला पटवार हल्का राणासर कला तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 288 रकबा 20.17 बीघा भूमि में विप्रार्थीगण मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया। उक्त आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। वर्तमान में अपीलांट के नाम से कृषि विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा डिमाण्ड नोटिस जारी किया गया है, जिसकी जानकारी उतरदाता संख्या 01 को होने पर अपीलांट के कृषि विद्युत कनेक्शन को बाधित करने व रूकवाने हेतु बदनियती पूर्वक द्वैषभावना से वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवेदन पेश किया गया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अभिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित होने से अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांटगण ने जानबूझकर कोई देरी व लापरवाही नहीं की है ज्ञान के तुरन्त बाद तत्परता से न्यायालय में पेश होकर प्रार्थना–पत्र नकल पाने का पेश कर नकलें प्राप्त कर सम्यक तत्परता के साथ वकील मुकर्रर कर अपील तैयार कर पेश की जा रही है। न्यायहित में अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मूल वाद में प्राथमिक डिक्री पारित हो गई है। बंटवारे के वाद में विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश होने के पश्चात हस्तगत प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित होने के पश्चात विद्युत कनेक्शन प्राप्त करे। अपीलांट द्वारा अनावश्यकविवाद पैदा करने की नियत से स्थगन को हटवाना चाहते है। अपीलांट द्वारा स्थगन आदेश हटवाकर उत्तरदाता के कब्जे काश्त में दखलअदाजी की जा सकती है। यदि अपीलांट अपने मकसद में सफल हो जाते हैं तो उरतदाता को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अपीलांट अधिवक्ता ने वक्त बहस जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आवदेन किया हुआ है। यदि अपीलांट द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु डिमाण्ड राशि जमा करवाई हुई है तो उसे कृषि सुधार के लिए कृषि

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	विद्युत कनेक्शन स्थापित करने की छूट दिया जाना लाजमी है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को आंशिक स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांट द्वारा पेश अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2021 में संशोधन करते हुए कृषि विद्युत कनेक्शन स्थापित करने की छूट दी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। (नवनीत कुमार) राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	